न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 31/2021

अपीलाण्ट

1. मृत उदेसिंह पुत्र हरि सिंह जाति राव निवासी बाली के विधिक वारिसान
   1. नारायण सिंह पुत्र स्व. उदेसिंह
   2. विक्रम सिंह पुत्र स्व. उदेसिंह
   3. गणपत सिंह पुत्र स्व. उदेसिंह
   4. श्रीमती शांताकंवर पत्नी स्व. उदेसिंह जातिगण राव, निवासीगण बाली, तहसील बाली, जिला पाली
   5. मृत छगनकंवर पुत्री स्व. उदेसिंह जी पत्नी नरपत सिंह जी के कायम मुकाम
      5/1. प्रमोद सिंह पुत्र नरपत सिंह
      5/2. रमेश सिंह पुत्र नरपत सिंह
      5/3. भीम सिंह पुत्र नरपत सिंह
      5/4 नरपत सिंह पुत्र मूल सिंह
      जातिगण राव, निवासी बांता, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली
   6. गीता कंवर पुत्री उदे सिंह जी, पत्नी हुकमसिंह जी जाति राव, निवासी बांता, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

प्रमाणित - प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. सरदार सिंह पुत्र हरी सिंह जी, जाति राव, निवासी बाली, तहसील बाली
2. धन्नाराम पुत्र कसाराम जी
3. मंगीलाल पुत्र कसाराम जी
4. पोनीदेवी पुत्र कसाराम जी जातिगया सिरवी, निवासीगण बाली, तहसील बाली, जिला पाली।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से

शेष रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06/09/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 36 / 2020 बअनवान सरदार सिंह बनाम मृत उदेसिंह के कायम मुकाम नारायण सिंह वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रमाणित - प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु दौराने बहस कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विविध आवेदन नम्बर 665 / 2021 **in SMW (C) No- 3/20 In Re Cognizance for extension of limitation VS XXX** में स्वप्रसंज्ञान लेते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.04.2021 द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण परिवाद व अन्य सभी प्रकरणों में हुई देरी को उक्त आदेश से माफ किया गया है। अपीलाण्ट का प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी काविड–19 से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण है। इस कारण प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अंदर म्याद माना जावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर गौर किया गया। न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाली में खसरा नम्बर 1764, 1765 का बंटवाड़ा किया जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के खातेदारी भूमि के लगती भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को आधा हिस्सा और अपीलाण्ट संख्या 1/1 लगायत 1/3 को आधा हिस्सा बंटवाडा करके दिया जावे। यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त ग्राम बाली में खसरा नम्बर 1759, 1764, 1765 की भूमि स्थित है, जिसमें राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज है। यह भी वाद में दर्ज किया कि खसरा नम्बर 1759 पर प्रतिवादी संख्या दो से चार काश्त कर रहे है, इसलिए उक्त खसरा का बंटवाड़ा वादी नहीं करवाना चाहता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की खातेदारी की भूमि खसरा 1769 से लगती खसरा नम्बर 1764 की भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 बंटवाडा करने को तैयार नहीं है। उपरोक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेशी दिनांक 21.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1/6 व 3 तथा 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहना बताया। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 15.03.2021 को सभी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होना बताया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं होना बताकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई और उसी दिन साक्ष्य वादी ली गई तथा पत्रावली बहस हेतु दिनांक 22.03.2021 को नियत की गई। दिनांक 22.03.2021 को पुनः पेशी इल्तवा की जाकर दिनांक 23.03.2021 नियत की गई। दिनांक 23.03.2021 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में विधि में उल्लेखित प्रावधानुसार रेस्पोडेण्ट को प्रोपर तामिल नही करवाई गई एवं जिन रेस्पोडेण्ट को तामिल हुए उन नोटिस/सम्मन के साथ दावे की प्रति सलग्न नही की गई। बिना दावे की प्रति सलग्न किए सम्मन तामिल नही माना जा सकता। उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट्स को जवाबदावा, साक्ष्य, सबुत, सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इन कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2007 DNJ(SC) P 686:- Civil Procedure Code, 1908- O.5,R.@ & O. 9,R.6(1)(c)- Limitation Act, 1963 - Art. 123- Suit for recovery-Recovery suit-Service of summons but copy of plaint not served-Defendant failed to file written statement- Ex-Parte decree- Same upheld by High Court- Held, Not justifiable- Impugned ex-parte decree set aside.

1984 RLW P62:- C.P.C- O.5 R.2 Service of summons- Summons not accompained by a copy of plaint- No proper service.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

,2018-19(supp)RRT P-20:- Code of civil Procedure, 1908- Order 41, Rule 21 Division Bench dismissed the suit ex-parte- Contention that the notice issued after the death of 'RK', were not served properly-Summon was affixed on house after refusal from taking notice- Summon affixed without order of the Court- Service by affixing notice can be effected only after order of the Court- Held, Order is illegal and set aside.

2013(2) RRT P985:- Civil Procedure Code, 1908- Order 5, Rule 17- Service of notice by affixation on residence- Concellation of plying route permit by State Transport Authority- Reoport of process server challenged to- Held, Said service should have been supported by two witnesses and whose name absence of name and address of witness- Opportunity of hearing not given- Violation of principle of natural justice- Order of transport authourity set aside- Matter remanded for fresh decision.

2008(3) DNT 958(SC):- Civil Procedure Code, 1908- O. 9, R. 13 Proviso- Suit for recovery of debt- Setting aside of ex-parte decree- Decree claimed against the respondent No- 6 and alternatively against respondent Nos. 1 to 5- Suit decreed ex-parte against the respondent No. 6 and dismissed against the respondent Nos. 1 to 5 - Respondent No.6 moved an application to set aside the decree-As per O.9 ,R13 ordinarily an ex-parte decree can be set aside only against the defendant against whom ex-parte decree was passed and suit was to be revived only *qua* the defendant applying- Proviso to O.9 , R. 13 given ample power to Court to set aside the decree against the defendants if it is of such a nature that it could not be set aside only against the defendant applying - Word 'decree' used in proviso means a decree indivisible and set aside the entire decree- In appeal Division Bench set aside the order against the respondent Nos. 1 to 5- Held, Decree was indivisible and Single Judge rightly set aside the decree in toto.

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने लिखित बहस पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद बाली के खसरा नम्बर 1759, 1764 व 1765 रकबा क्रमशः 4.29 हैक्टर, 2.10 हैक्टर कुल रकबा 8.49 हैक्टर के संबंध में बंटवाडा करने हेतु पेश किया। जिसमें रेस्पोडेन्ट सरदार सिंह का 1/4 हिस्सा, अपीलाण्टान का 1/4 हिस्सा व अपीलाण्ट संख्या 02, 03 व 04 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा आता है। रेस्पोडेन्ट सरदार सिंह की अन्य कृषि भूमि सरहद बाली में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.76 हैक्टर आयी हुई है। जो खसरा नम्बर 1764 से लगती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 04 को उपर वर्णित खसरा नम्बर 1759, 1764, व 1765 में से खसरा नम्बर 1759 रकबा 4.29 हैक्टर की रही है। जिस पर वे काश्त कर व करवा रहे है जिसका वादी को बंटवारा नही करवाना है न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
प्रमाणित - प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

04 के विरूद्ध कोई प्रार्थना अथवा सहायता मांगी गई है। राजस्व रेकर्ड में खाता शामलाती होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अपनी सह खातेदारी भूमि का विधिक विभाजन कराने हेतु दावा पेश किया, रेस्पोडेण्ट सरदार सिंह व अपीलाण्ट उदे सिंह सगे भाई है। इन दोनो ने अपने जीवनकाल से खसरा नम्बर 1764, 1765 की भूमि को शामलाती रखते हुए शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। उदे की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेण्ट सरदार सिंह ने अपीलाण्ट के वारिसान को विवादित भूमि खसरा नम्बर 1764, 1765 का बंटवाड़ा, माप व सीमांकन करने के लिये अपीलाण्ट से निवेदन किया कि वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1769 से लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 1764 व 1765 से आधे हिस्से का बंटवाडा करके दिया जावे जिस पर अपीलाण्टान तैयार नही हुए इस कारण रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्टान व अन्य सहखातेदार धन्नाराम, मांगीलाल, पोनीदेवी व भूमिधारी के विरूद्ध खसरा नम्बर 1764 व 1765 के बंटवाडा माप व सीमांकन के जरिये हिस्सानुसार किया जाकर उसकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1769 से लगती हूई भूमि खसरा नम्बर 1764 व 1765 के कुल रकबा 4.20 हैक्टर में से आधे हिस्से का बंटवाडा करके दिये जाने का उसके हिस्से में आयी भूमि का खाता राजस्व अभिलेख में अलग से खोला जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद व दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराने की प्रार्थना की। वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02, 03 व 04 को जारी किए गए सम्मन जो विधिवत् रूप से तामिल करवाये गए। बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.03.2021 को निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की। अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु कार्यवाही विचाराधीन थीं। इस दरम्यिान अपीलाण्ट ने आधारहीन तथ्यों को अंकित करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज करावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकगणो द्वारा पेश नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम बाली के खसरा नम्बर 1759, 1764 व 1765 रकबा क्रमशः 4.29 हैक्टर, 2.10 हैक्टर कुल रकबा 8.49 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट मृत उदे सिंह पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हरि सिंह के वारिसान के नाम जो सम्मन जारी किया गया, जिसे पर्याप्त तामील मानते हुए अपीलाण्ट के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 23.03.2021 को अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में जिन बिन्दुओं को रेखाकिंत किया उसमें मुख्य बिन्दु यह है, कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट(प्रतिवादीगण) को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित प्रावधानुसार सम्मन / नोटिस की प्रोपर तामिल नही करवाई गई एवं जो सम्मन / नोटिस अपीलाण्ट को तामिल हुए उनमें नोटिस / सम्मन के साथ दावे की प्रति सलग्न नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का अवसर नहीं देकर एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए उक्त बिन्दुओ के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट्स(प्रतिवादीगण) को विचारण न्यायालय द्वारा वाद दायर होने पर प्रथम सम्मन दिनांक 31.08.2020 को जारी किए गए थे। जारी किए गए उन सम्मनो पर श्री रामाराम सवार तहसील कार्यालय बाली की तस्दीक अनुसार अपीलाण्टगण नारायण सिंह, विक्रम सिंह, गणपत सिंह, शान्ता कंवर ने सम्मन लेने से इन्कार करने की टिपण्णी का उल्लेख किया गया। गीता कंवर का सम्मन उनके पति द्वारा लिया गया। इन सम्मनो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तामिल करवाये गए इन सम्मनों पर तहसील कार्यालय बाली के सवार रामाराम के हस्ताक्षर अवश्य है लेकिन किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगण को द्वितीय सम्मन दिनांक 28.10.2020 को जारी किए गए, जारी किए इन सम्मनो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट संख्या 1 / 1 नारायण सिंह ने स्वयं सम्मन तामिल किया एव नोट अंकित किया कि 'नकल साथ में संलग्न नहीं है' अपीलाण्ट संख्या 02(प्रतिवादी संख्या 1 / 2) विक्रम सिंह को जारी सम्मन दिनांक 14.12.2020 तहसील कार्यालय बाली के सवार श्री मांगूसिंह द्वारा दिनांक 24.12.2020 को विक्रम सिंह के सगे भाई नारायण सिंह को तामिल करवाया गया, अपीलाण्ट संख्या 3(प्रतिवादी संख्या 1 / 3) गणपत सिंह को जारी सम्मन भी दिनांक 24.12.2020 को उसके भाई नारायण सिंह को तामिल करवाया गया एवं अपीलाण्ट श्रीमती शांता कंवर को जारी किए गए नोटिस तहसील कार्यालय बाली के सवार श्री जीवन सिंह द्वारा दिनांक 08.11.2020 को उसके पुत्र श्री नारायण सिंह को तामिल करवाया गया। प्रमोद सिंह, रमेश सिंह, भीम सिंह व नरपत सिंह के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित - प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हस्तगत प्रकरण की पुर्णतया जानकारी थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकार को अपने प्रकरण की जानकारी हेतु सम्यक रूप से तत्पर एवं सचेत होना चाहिए, मात्र पक्षकार द्वारा प्रकरण की अनदेखी के आधार पर प्रक्रिया को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2007 **DNJ(SC) Page 686 Nahar Enterprises versus M/s. Hyderabad Allwyn Ltd.** पेश कर मुख्य बिन्दु यह रेखांकित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 2 के अनुसार "समनों सें उपाबद्ध वादपत्र की प्रति–प्रत्येक समन के साथ वादपत्र की एक प्रति होगी"। जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ द्वारा एकपक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री अपास्त करने का निवेदन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत से हाजा न्यायालय सहमत है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना शेष है, मात्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण प्रकरण का अंतिम निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में पारित किया जाना शेष है मात्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण वाद में यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो वाद की सुनवाई प्रारम्भ से पुनः करनी होगी। जिससे अनावश्यक विलम्ब होगा, एवं वाद की प्रकृति, निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादग्रस्त आराजी को पक्षकार के मध्य बटवाडा करने की जारी की गयी है। बटवाडा प्रकरणों में विधि अनुसार जहा पक्षकारो के मध्य विवाद हो या सहमति नही हो तो 'बाई मिट्स एण्ड बाउड्स; ही सर्वोतम न्यायोचित विकल्प है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन प्रकरण के शीघ्र निस्तारण एवं विलम्ब से बचने हेतु प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा मोके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्षो को जरिये नोटिस सूचना देकर यथोचित सुनवाई कर उभयपक्षो की उपस्थिति में विधि अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने का विकल्प भी शेष रहता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाने का विकल्प शेष है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगण को विचारण प्रकरण में अंतिम निस्तारण के समय साक्ष्य, सुनवाई, एवं प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करवाने का पर्याप्त अवसर दिया जा सकता है। इस स्तर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित–प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 36 / 2020 सरदार सिंह बनाम मृत उदेसिंह के कायम मुकाम नारायण सिंह वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2021 को यथावत रखा जाता है। अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर(उपखण्ट अधिकारी) बाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व, तहसीलदार द्वारा तैयार किए जाने वाले बंटवाड़ा प्रस्ताव उभयपक्षों को पूर्व सूचना जरिये नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार करने हेतु निर्देशित करे, एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर विधिनुसार उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित - प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली